



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-1095-कार्य/चौदह-पाकालि/2019-3-के/2000

दिनांक: 21/06/2019

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-603-कार्य/चौदह-पाकालि/2016-3-के/2000 दिनांक 06.06.2016 को निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में अवक्रमित करते हुए कारपोरेट भण्डार कय/कार्य समिति, समिति का कोरम एवं वित्तीय अधिकार को एतद्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की कारपोरेट भण्डार कय/कार्य समिति

- | | | |
|---|---|---------|
| (1) अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०। | — | अध्यक्ष |
| (2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०। | — | सदस्य |
| (3) समस्त निदेशकगण उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०। | — | सदस्य |
| (4) प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि० (सामग्री के कय/कार्य का प्रकरण जिस वितरण निगम से संबंधित है) एवं सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के समस्त निदेशक। | — | सदस्य |

उपरोक्त समिति का कोरम:-

- (1) अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, केवल वितरण निगमों से सम्बन्धित प्रकरण की दशा में।
- (4) निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, निदेशक (वित्त), के लखनऊ शहर में उपस्थित न होने की दशा में यदि सम्बन्धित बैठक करना अनिवार्य हो तो मुख्यालय पर लेखा शाखा में उपलब्ध मुख्य महाप्रबन्धक, अध्यक्ष की अनुमति से भाग लेने हेतु अधिकृत होंगे।
- (5) सम्बन्धित निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, केवल उ०प्र० पावर कारपोरेशन के मुख्यालय/कारपोरेट ईकाइयों के प्रकरणों में।
- (6) उ०प्र०पा०का०लि० का कोई एक अन्य निदेशक।

उपरोक्त समिति के वित्तीय अधिकार:- रु० 25 करोड़ से अधिक के समस्त मामले ।

अध्यक्ष

.....2/.....

संख्या-1095-(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि० मध्योच्चल/पूर्वाञ्चल/दक्षिणोच्चल/पश्चिमोच्चल, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केस्को कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण (का०प्र० एवं प्रशा०)/वितरण/वाणिज्य/वित्त/कारपोरेट प्लानिंग उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, वितरण निगम लि०।
8. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र०पा०का०लि०।
9. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा एवं लेखा प्रशा०)/लेखा एवं वित्त/उपमहाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लि०।
13. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, विद्युत वितरण निगम लि०/उ०प्र०पा०का०लि०।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्योच्चल/पूर्वाञ्चल/दक्षिणोच्चल/पश्चिमोच्चल, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केस्को कानपुर।
- ✓ 16. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर "Orders" एवं "Right to Information" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।
17. कट फाइल।

आज्ञा से,



(आर०के० श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)